

वादी संख्या रामचन्द्र के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा मौजा जायल के खेत खसरा नम्बर 124 रकबा 0.4532 हैक्टेयर पूरा व खेत खसरा नम्बर 125 रकबा 0.4209 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।

प्रतिवादी संख्या 1 नारायणप्रसाद के हक बंट में मौजा जायल का खेत खसरा नम्बर 133 रकबा 1.6430 हैक्टेयर में से 1.2221 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा नजरी नक्शानुसार तथा मौजा बोडिन्द खुर्द के खेत खसरा नम्बर 283 रकबा 0.9955 हैक्टेयर में से 0.4937 हैक्टेयर पश्चिमी भाग नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।

प्रतिवादी संख्या 2 विश्वामित्र के हक बंट में मौजा जायल का खेत खसरा नम्बर 133 रकबा 1.6430 हैक्टेयर में से 0.4209 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा नजरी नक्शानुसार तथा जायल के खेत खसरा नम्बर 134 रकबा 0.8094 हैक्टेयर पूरा तथा मौजा बोडिन्द खुर्द के खेत खसरा नम्बर 283 रकबा 0.9955 हैक्टेयर में से 0.5018 हैक्टेयर पूर्वी भाग नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः नारायणप्रसाद व विश्वामित्र के सह कब्जा काश्त व हक बंट में मौजा जायल के खेत खसरा नम्बर 3338/606 रकबा 0.0243 हैक्टेयर सामलाति रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।

प्रतिवादी संख्या 1 से 6 क्रमशः इन्द्रा, भगवती, गीता, भगवानदास के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।

फैक वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।



यह आज दिनांक 31/3/23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल